न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0–14/2018-19

अरूण कुमार पिता राजा राम कश्यप – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–अशोक कुंज, पोस्ट–अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची।
वर्तमान पता– ग्राम–बिनगाँव, थाना–कर्रा

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा – **विपक्षी**

आदेश

13.10.18

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–922R27/17-18 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.18 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बिनगाँव	कर्रा 132	03	197	1.24
		01	166	0.01
		01	168	0.04
		03	170	0.57
		01	167	0.59
				2.45

आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्रि केवाला सं0 185 दिनांक 26.02.2010 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला के निष्पादन कर्त्ता सुशीला देवी, बसंत साहू एवं विमला देवी है। निष्पादन कर्त्ता (विक्रेता) के पिता संतोष साहू वैगरह ने पंजीकृत बिक्रि केवाला सं0 2260 दिनांक 29.03.1952, 444 दिनांक 18.01.1983, 443 दिनांक 18.01.1983, 221 दिनांक 07.01.1983 एवं 221/84 दिनांक 27.01.1955 से उपरोक्त भूमि क्रय की एवं शांतिपुर्ण दखलकार हुए। उपरोक्त क्रेताओं के बीच आपसी बंटवारे में उपरोक्त भूमि उपरोक्त निष्पादन कर्त्ता/विक्रेता के हिस्से में आई वो दखलकार हुए एवं अपने हिस्से में आई प्राप्त भूमि को आवेदक के पक्ष में बिक्रि किये है। एवं दखल दे दिये है।

उपरोक्त क्रय के पश्चात आवेदक उपरोक्त भूमि पर शांतिपुर्वक दखलकार है। आवेदक पुनः कथन करते है कि अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 तथ्य एवं विधि विरूद्ध है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक को सुने बिना उपरोक्त आदेश पारित कि या जो नेचुरल जास्टिस के सिध्दांत के विरूध है।

अंचल अधिकारी, कर्रा ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि की जमाबंदी खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 166, 167 एवं 168 रकबा क्रमशः 0.01 एकड़, 0.59 एकड़, 0.04 एकड़ तथा खाता संख्या 3 प्लॉट संख्या 170 रकबा 0.57 एकड़ कुल रकबा 1.21 एकड़ भूमि श्रीमती सुकवारो देवी पति लालू साहू वो सुशीला देवी पति घरेन्द्र राम के नाम से पंजी–II में चल रहा है परन्तु बिक्री की गयी भूमि से खाता संख्या 3 प्लॉट संख्या 197 रकबा 1.24 एकड़ भूमि की जमाबंदी ठकन कुंवर जौजे वकील साहू के नाम से अलग से चल रही है जिसका आपसी बटवारा नही हुआ है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना संभव नही है कि मो० ठकन कुंवर के